उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

विविध वाद (Mise. Case) 02 / 2023–24

मंगरा गोप

–बनाम–

सरकार

20.01.24

1. आवेदक श्री मंगरा गोप पिता–स्व0 ठेपई गोप के द्वारा मौजा–उर्मी थाना–गुमला जिला–गुमला के थाना सं0–64 खाता सं0–169 प्लॉट सं0–1140, रकबा–0.45 एकड़ में से 0.27 एकड़ खतियानी भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।
2. प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 740 / विधि दिनांक 24.04.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, गुमला एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गुमला से वर्णित भूमि का जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, गुमला के पत्रांक 912 दिनांक 17.07.2023 द्वारा समर्पित भूमि का जांच प्रतिवेदन अनुसार मौजा–उर्मी थाना–गुमला जिला–गुमला के थाना सं0–64 खाता सं0–169 प्लॉट सं0–1140 आर0 एस0 खतियान के अनुसार कुल रकबा–0.45 एकड़ भूमि का खतियानी रैयत चतुर अहीर वो फागु अहीर वो रघु अहीर पेशरान लालु अहीर कौम अहीर, किस्म रैयती कायमी दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का अद्यतन पंजी ii के अनुसार रैयत ठेपैई अहीर वगैरह पिता–मथुरा अहीर है। गुमला बाईपास सड़क निर्माण योजना हेतु 0.18 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया है।
3. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक–279 / भू0अ0 दिनांक–02.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–उर्मी के खाता सं0–169 प्लॉट सं0–1140 कुल रकबा–0.45 एकड़ भूमि में से 0.18 एकड़ भूमि गुमला बाईपास सड़क निर्माण योजना हेतु अधिग्रहित की गई है। प्रश्नगत भूमि का क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान दिनांक–29.09.2015 को रद दिया गया है।
4. आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–उर्मी थाना–गुमला जिला–गुमला के थाना सं0–64 खाता सं0–169 प्लॉट सं0–1140 रकबा–0.45 एकड़ आवेदक की खतियानी भूमि है। जिसका आर0एस0 खतियान चतुर अहीर वगैरह के नाम से कायमी दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत का पोता है। प्रश्नगत भूमि का लगान रसीद आवेदक के पिता स्व0 ठेपई अहीर वगैरह के नाम से निर्गत हो रहा है। खतियान के अनुसार वंशावली निम्न है:–

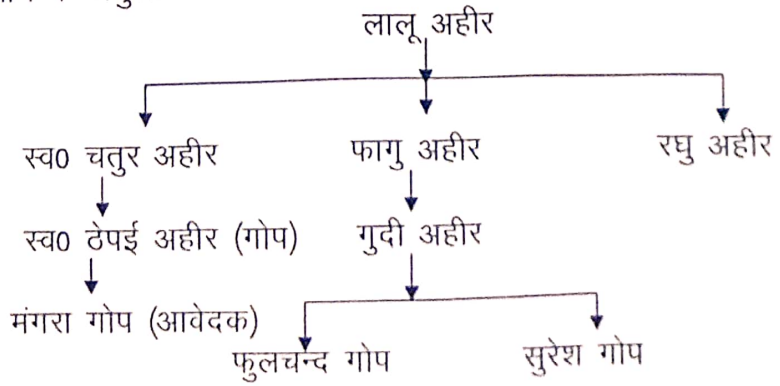

Scanned with OKEN Scanner

5. प्रश्नगत भूमि पर आवेदक वो अन्य हिस्सेदारों के साथ आपसी मौखिक बंटवारा से प्राप्त है। जिसपर आवेदक का शान्ति पूर्वक दखल कब्जा है। आवेदक की प्रश्नगत भूमि को सरकार द्वारा गुमला बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल रकबा–0.45 एकड़ में से 0.18 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है तथा आवेदक को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त हो चुका है। प्रश्नगत भूमि पर मुआवजा से संबंधित अथवा अन्य किसी प्रकार का विवाद नही है।
6. प्रश्नगत अधिग्रहित भूमि मौजा–उर्मी के खाता सं0–169 प्लॉट सं0–1140 कुल रकबा–0.45 एकड़ में से 0.18 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। आवेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित भूमि को सरकार द्वारा अधिग्रहण के पश्चात शेष रकबा–0.27 एकड़ भूमि को अपनी बीमारी के ईलाज हेतु रुपये लेकर क्रेता से बिक्री एकरारनामा कर चुके है। प्रश्नगत भूमि NGDRS पोर्टल में लॉक है। प्रश्नगत भूमि को अनलॉक किये बिना भूमि की क्रय–बिक्रय नही हो पा रही है, तथा आवेदक को अपनी बीमारी का पूर्णतः ईलाज हेतु एकरारनामा के तहत् शेष राशि क्रेता से प्राप्त नही हो पा रहा है। जिससे आवेदक को काफी कठिनाई हो रही है।
7. आवेदक के द्वारा NGDRS पोर्टल में लॉक भूमि को अनलॉक कराने का अनुरोध किया गया है।
8. निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड रॉची के अधिसूचना सं0–452/नि0 दिनांक–07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 585 दिनांक 10.10.2019 के आलोक में NGDRS पोर्टल में सूचीबद्व प्रतिबंधित भूमि की सूची से वर्णित भूमि को मुक्त करने के लिए सुनवाई हेतु आवेदक को नोटिस निर्गत की गई एवं उनके दावे से संबंधित वाछिंत दस्तावेज की मांग की गई। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को आवेदक अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से भूमि से संबंधित दस्तावेज समर्पित किया गया है।
9. निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड रॉची के अधिसूचना सं0–452/नि0 दिनांक–07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 585 दिनांक 10.10.2019 के आलोक में NGDRS पोर्टल में सूचीबद्व प्रतिबंधित भूमि की सूची के किसी प्लॉट को विशेष परिस्थिति में Genuine Reason के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को सुनवाई हेतु प्राधिकृत किया गया है।

आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेजों अंचल अधिकारी, गुमला के पत्रांक–912 दिनांक–17.07.2023, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक–279/भू0अ0 दिनांक–02.05.2023 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड रॉची के अधिसूचना सं0–452/नि0 दिनांक–07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–585 दिनांक 10.10.2019 के आलोक पर NGDRS Portal में सूचीबद्व प्रतिबंधित भूमि की सूची में से मौजा–उर्मी थाना–गुमला जिला–गुमला के थाना सं0–64 खाता–169 प्लॉट सं0–1140 कुल रकबा–0.45 एकड़ भूमि में से 0.27 एकड़ भूमि को निम्नलिखित शर्तो के साथ मुक्त किया जाता है।

(क) आवेदक संबंधित भू–खण्ड पर अथवा भू–खण्ड के संबंध में ऐसा कोई भी कार्य नही करेगें जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किसी भी धारा अथवा झारखण्ड राज्य में प्रभावी किसी भी अधिनियम, परिनियम, नियमावली अथवा सरकारी निदेश के प्रतिकूल हो।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) संबंधित भू–खण्ड पर किसी भी प्रकार के हस्तांतरण (स्थायी अथवा अस्थायी) से संबंधित दस्तावेजों का निबंधन से पूर्व जिला अवर निबंधक गुमला संतुष्ट हो लेंगें कि हस्तांतरण CNT Act. के प्रावधानों के अनुकूल हो तथा किसी भी नियम का उल्लंघन न हो।

(ग) भू–खण्ड के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है जो इंगित करती है कि संबंधित भू– खण्ड को प्रतिबंधित सूची में रखना ही नियम संगत हो तो वैसी स्थिति में इस आदेश को संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

(घ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर आदेश की समीक्षा की जा सकेगी।

(ड़) यदि भविष्य में यह संज्ञान में आता है कि आवेदको के द्वारा भू–खण्ड की प्राप्ति (खरीद/विरासत/अन्य) नियम संगत नही थी तो इस आदेश को निरस्त किया जा सकेगा।

जिला अवर निबंधक, गुमला को निदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत 0.27 एकड़ भूमि का क्रय–बिक्रय/निबंधन के उपरान्त गुमला बाईपास सड़क निर्माण योजना के तहत् जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा अधिग्रहित 0.18 एकड़ भूमि को क्रय–बिक्रय/निबंधन को रोकने हेतु पुनः NGDRS Portal में प्रतिबंधित भूमि की सूची में सूचीबद्ध कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अंचल अधिकारी/जिला अवर निबंधक,गुमला एवं DPMU, गुमला को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.08.06 15:22:13 +05:30
Location: 192.168.29.195

Scanned with OKEN Scanner